राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(7)आरबी/2018/4928 दिनांक 19 जून, 2018

परिपत्र

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षिक पदों पर नियुक्तियां एक निरन्तर प्रक्रिया है। उक्त नियुक्तियों हेतु The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act 1974 (Act No. 18 of 1974) एवं समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों अनुरूप गठित चयन समिति सदस्यों की उपस्थिति के संबंध में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 1343 दिनांक 14.2.2018 का संदर्भ लेवें। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के स्तर पर भविष्य में की जाने वाली भर्तियों के संबंध में माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. **राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों की पालना :-**

   राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 की धारा 5 एवं 6 में क्रमशः चयन समिति का गठन एवं प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना;

2. **वर्षवार निर्धारित रिक्तियों का निर्धारण व सूचना का प्रसार :-**

   वर्षवार रिक्तियों का संकलन किया जावे तथा नियमानुसार उन निर्धारित रिक्तियों की अद्यतन सूचना का नियमानुसार व्यापक-प्रचार-प्रसार सहित विश्वविद्यालय वेबसाईट पर भी प्रदर्शन किया जाना;

3. **चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बाबत संबंधित नियामक संस्था/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना :-**

   यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय उनसे संबंधित नियामक संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम योग्यताओं को अंगीकार नहीं करके पुराने नियमों/योग्यताओं के अनुसार चयन प्रक्रिया को अमल में लाते हैं। समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा नवीनतम

न्यूनतम निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप स्टेट्यूटस/ऑर्डिनेस में संशोधन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तावित किया जावे।

4. **आरक्षण रोस्टर नियमों की पालना :–**

विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर नियमों की नियमानुसार पालना की जावे।

5. **नियुक्तियों में पारदर्शिता :–**

विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में योग्य अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार में अपनाई जाने वाली पद्धति/प्रक्रिया में पारदर्शिता की अनुपालना की जावे;

6. **चयन समिति के सदस्यों को बैठक के आयोजन बाबत पर्याप्त समय पूर्व सूचित किया जाना एवं agenda का circulation किया जाना :–**

पदवार नियुक्ति प्रक्रिया में चयन समिति के सदस्यों को बैठक के आयोजन बाबत उचित माध्यमों यथा रजिस्टर्ड पत्र, ई–मेल, SMS, Fax, दूरभाष आदि के माध्यम से पर्याप्त समय पूर्व सूचित किया जावे एवं agenda प्रेषित किए जाएं ;

7. **चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति :–**

चयन समिति में विभिन्न प्राधिकारियों यथा कुलाधिपति/राज्य सरकार/सिंडीकेट/BOM आदि द्वारा नामित सदस्यों द्वारा चयन समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं होने पर कारण पूछा जावे एवं अनुपस्थिति की दशा में संबंधित नामिती प्राधिकारियों को सूचित किया जावे;

8. **न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना :–**

माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई निर्देश दिये गये हैं तो उनकी नियमानुसार अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

18/06/18

(देबाशीष पृष्टी)
सचिव
राज्यपाल, राजस्थान